



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 455 राँची, सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 सितम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-4/2018-16564 (HRMS)--श्री धीरज कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ के विरुद्ध उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-597/स्था०, दिनांक 17.11.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में कुल-6 आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध हिरणपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बागशीशा पंचायत में मनरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित तीन योजनाएँ, योजना सं०-84/2009-10, सं०-85/2009-10 एवं सं०-86/2009-10 को तीन वर्षों के अंतराल पर ही अधूरा एवं विवादित बताते हुए पुनः वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं बिना पूर्व में सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन कराये गलत अनुशंसा कर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-852, दिनांक 01.02.2018 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री ठाकुर के पत्र, दिनांक 14.05.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-26313(एच० आर० एम०एस०), दिनांक 17.10.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-364, दिनांक 14.07.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री ठाकुर के बचाव बयान को स्वीकार करते हुए आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री ठाकुर के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोप संख्या-3 एवं आरोप सं०-5 के संदर्भ में जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री ठाकुर के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6381, दिनांक 09.12.2020 द्वारा श्री ठाकुर से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री ठाकुर के पत्र, दिनांक 30.01.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

श्री ठाकुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर विभागीय पत्रांक-2566, दिनांक 10.06.2021 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1588, दिनांक 26.04.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर उपायुक्त, पाकुड़ से बिन्दुवार मंतव्य की माँग की गयी। जिसके आलोक में उपायुक्त, पाकुड़ का पत्रांक-50, दिनांक 08.02.2022 के द्वारा अपना मंतव्य समर्पित किया गया है। जिसमें आरोप सं०-3 एवं 5 तथा पोखरा की गहराई के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को संतोषजनक, व्यवहारिक एवं स्वीकार माना गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर उपायुक्त, पाकुड़ के मंतव्य की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत विभाग द्वारा इससे सहमत होने का निर्णय लिया गया है।”

श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं उस पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री धीरज कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DHIRAJ KUMAR THAKUR JHK/JAS/167	श्री धीरज कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री धीरज कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
